



2026:AHC-LKO:19474

उच्च न्यायालय, न्यायिक खंडपीठ इलाहाबाद, लखनऊ

रिट - ए संख्या 7772 सन् 2005

विद्या प्रकाश तिवारी

.....याचिकाकर्ता

बनाम

उत्तर प्रदेश शिक्षा परिषद एवं 4 अन्य

.....प्रतिवादीगण

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता

: अभिनव एन. त्रिवेदी, अब्दुल मोइन, आशीष

कुमार पाठक, देव प्रकाश श्रीवास्तव

प्रतिवादी के अधिवक्ता

: सी.एस.सी., विजय पी. श्रीवास्तव

न्यायालय कक्ष संख्या - 17

माननीय न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी

1. याची के विद्वान अधिवक्ता श्री देव प्रकाश श्रीवास्तव तथा राज्य की ओर से विद्वान अपर मुख्य स्थायी अधिवक्ता श्री राहुल शुक्ला को सुना गया।
2. वर्तमान याचिका के माध्यम से याची ने प्रतिवादी संख्या-2, निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, उत्तर प्रदेश, लखनऊ के विरुद्ध यह निर्देश जारी किए जाने की प्रार्थना की है कि याची को सहायक अध्यापक (साहित्य) के पद का वेतन दिनांक 28.10.2002 से प्रदान किया जाए, जिस दिनांक

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

को उसने श्री विद्वत् परिषद् महाविद्यालय, कर्नेलगंज, जनपद-गोंडा (जिसे आगे “कॉलेज” कहा गया है) में सेवा ग्रहण की।

3. रिट याचिका में यह उल्लेख किया गया है कि उक्त कॉलेज एक मान्यता प्राप्त एवं अनुदानित इंटरमीडिएट कॉलेज है, जो अनुदान-सूची में सम्मिलित है। श्री विदेश्वरी प्रसाद मिश्र, जो सहायक अध्यापक (साहित्य) के पद पर कार्यरत थे, सेवानिवृत्त हो गए, और उनके सेवानिवृत्त होने से उत्पन्न रिक्ति पर, कॉलेज की प्रबंधन समिति द्वारा दिनांक 10.09.2002 को पारित प्रस्ताव के अनुपालन में चयन किया गया। दिनांक 02.10.2002 को दो दैनिक समाचार पत्रों में विज्ञापन प्रकाशित किया गया तथा दिनांक 25.10.2002 को साक्षात्कार आयोजित किया गया, जिसमें याची संख्या-1 को सूची में क्रमांक-1 पर रखा गया और उसे दिनांक 22.10.2002 को नियुक्ति पत्र जारी किया गया। याची का यह कथन है कि दिनांक 28.10.2002 को अपनी प्रारंभिक नियुक्ति के पश्चात वह निरंतर कार्यरत है, किन्तु जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा उसे वेतन का भुगतान नहीं किया गया है।

4. दिनांक 30.11.2025 को एक अंतरिम आदेश पारित किया गया, जिसके द्वारा पक्षकारों को अभिलेख पूर्ण करने का निर्देश दिया गया तथा जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा को निर्देशित किया गया कि वह कॉलेज की प्रबंधन समिति द्वारा याची की नियुक्ति के संबंध में किए गए संदर्भ पर विधि के अनुसार उपयुक्त आदेश पारित करे। यदि अनुमोदन प्रदान किया जाता है, तो वेतन का भुगतान जारी किया जाएगा। और यदि अनुमोदन अस्वीकृत किया जाता है, तो उसके कारणों सहित एक युक्तिसंगत आदेश प्रति-शपथपत्र के साथ संलग्न किया जाएगा।

5. प्रतिवादी संख्या 2 से 4 द्वारा प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें यह कहा गया है कि प्रबंधन समिति याची की नियुक्ति करने के लिए अधिकृत नहीं थी तथा प्रबंधन समिति द्वारा की गई याची की नियुक्ति अवैध है।

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

6. याची द्वारा प्रतिवादियों के प्रति-शपथपत्र के प्रत्युत्तर में प्रत्युत्तर-शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के साथ यह कहा गया है कि दिनांक 17.08.2007 को जिला विद्यालय निरीक्षक, गोंडा द्वारा याची को वेतन भुगतान की स्वीकृति प्रदान करते हुए एक आदेश पारित किया गया था। उक्त आदेश की प्रति परिशिष्ट संख्या RA-1 के रूप में संलग्न की गई है, जिसमें यह उल्लेख है कि इस न्यायालय द्वारा पारित दिनांक 30.11.2025 के अंतरिम आदेश के अनुपालन में, याची को वेतन भुगतान की स्वीकृति इस शर्त के अधीन प्रदान की गई थी कि यह रिट याचिका के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगी। याची के विद्वान अधिवक्ता ने निवेदन किया कि उक्त आदेश के पश्चात भी याची को कोई वेतन भुगतान नहीं किया गया है।

7. कॉलेज की प्रबंधन समिति (प्रतिवादी संख्या-5) द्वारा एक संक्षिप्त प्रति-शपथपत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याची का चयन एवं/अथवा नियुक्ति विधि के अनुरूप सक्षम प्राधिकारी द्वारा कभी नहीं की गई तथा उसने कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में कभी कार्य नहीं किया और न ही उस पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया है। यह भी कहा गया है कि याची के नियुक्ति पत्र पर संस्थान के प्रबंधक के हस्ताक्षर, कॉलेज के प्राचार्य द्वारा उन्हें भ्रमित करके प्राप्त कर लिए गए थे, किन्तु जब प्रबंधक को प्राचार्य द्वारा किए गए उक्त कपट की जानकारी हुई, तब उन्होंने याची को संस्थान में कार्य करने की अनुमति नहीं दी। याची द्वारा प्रतिवादी संख्या-5 के प्रति-शपथपत्र के विरुद्ध कोई प्रत्युत्तर-शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

8. प्रति-शपथपत्र में यह भी उल्लेख किया गया है कि याची, कॉलेज के प्राचार्य का निकट संबंधी है। जैसे ही प्राचार्य द्वारा की गई अनियमितता/अवैधता की जानकारी हुई, प्रबंधक ने दिनांक 30.03.2006 को जिला विद्यालय निरीक्षक को पत्र प्रेषित कर याची की अवैध नियुक्ति के विरुद्ध आवश्यक कार्यवाही करने का अनुरोध किया तथा प्राचार्य को कारण बताओ नोटिस भी

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।

जारी किया। उक्त कदाचार के लिए प्राचार्य को दिनांक 21.06.2007 के विवादित आदेश द्वारा निलंबित कर दिया गया। जिला विद्यालय निरीक्षक ने निलंबन आदेश को अनुमोदित करने के स्थान पर एकल संचालन का आदेश पारित कर दिया।

9. इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि अभिलेखों में ऐसा कोई कथन नहीं है कि चयन प्रक्रिया जिला विद्यालय निरीक्षक से पूर्वानुमति प्राप्त करने के पश्चात प्रारंभ की गई थी; तथा राज्य द्वारा प्रति-शपथपत्र में यह कहा गया है कि नियुक्ति अवैध तरीके से की गई थी; और कॉलेज की प्रबंधन समिति द्वारा अपने प्रति-शपथपत्र में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि याची का चयन एवं/अथवा नियुक्ति सक्षम प्राधिकारी द्वारा विधि के अनुसार कभी नहीं की गई तथा उसने कॉलेज में सहायक अध्यापक के रूप में कभी कार्य नहीं किया और न ही उस पद के कर्तव्यों एवं दायित्वों का निर्वहन किया। उक्त सभी कथन अप्रतिवादित बने हुए हैं, क्योंकि याची द्वारा प्रबंधन समिति के प्रति-शपथपत्र के विरुद्ध कोई प्रत्युत्तर-शपथपत्र प्रस्तुत नहीं किया गया है।

10. मैं याची के इस कथन में कोई बल नहीं पाता कि उसकी नियुक्ति विधि के अनुरूप की गई थी।

11. अतः, याचिका में कोई औचित्य न होने के कारण, इसे खारिज किया जाता है।

(न्यायमूर्ति सुभाष विद्यार्थी)

दिनांक : 17 मार्च, 2026

-अमित के-

अस्वीकरण:

अनुवादित निर्णय वादी के समझने हेतु है और इसका किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग नहीं किया जा सकता है। सभी कानूनी और सरकारी उद्देश्यों के लिए, निर्णय का मूल संस्करण ही मान्य होगा।